



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275298
CG-DL-E-08082026-275298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4214]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4392(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में संख्यांक का.आ. 1039(अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) पैरा 3 के उप पैरा (क) में, "895.913 हेक्टेयर (लगभग) या 2213.80 एकड़ (लगभग) माप की भूमि" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "897.764 हेक्टेयर (लगभग) या 2218.37 एकड़ (लगभग) माप की भूमि" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अनुसूची 'क' में,—

(क) सभी अधिकार" शीर्षक के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी,

अर्थात्:-

क्र. सं.	मौजा / ग्राम का नाम	ग्राम संख्या	पटवारी हल्का क्र.	तहसील/थाना	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	परसोडीकला	3902221	06	लखनपुर	सरगुजा	291.702	भाग
2	अमेरा	3902200	08	लखनपुर	सरगुजा	188.483	भाग
3	पुहपुटारा	3902202	07	लखनपुर	सरगुजा	024.924	भाग
4	कोटकोना	3902218	06	लखनपुर	सरगुजा	278.779	भाग
5	गुमगाराकला	3902219	05	लखनपुर	सरगुजा	113.876	भाग

(ख) 895.913 हेक्टेयर (लगभग) या 2213.80 एकड़ (लगभग)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "897.764 हेक्टेयर (लगभग) या 2218.37 एकड़ (लगभग)" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद संख्या 1 में, "1027 से 1176" प्रविष्टियों के स्थान पर "1027 से 1213, 1225" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) मद संख्या 2 में, "1 से 252" प्रविष्टियों के स्थान पर "2 से 252" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) मद क-ख-ग और शीर्ष से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सीमा का विवरण:

क-ख- ख1-ख2-ख3-ख4-ग रेखा बिंदु 'क' से ग्राम परसोडीकला में प्रारंभ होकर खसरा संख्या 672, 542, 538, 541, 525, 544, 545, 518, 517, 516, 515, 514, 551, 552, 554, 498, 497, 469, 463, 468 तथा 1026 से होकर गुजरती है है। इसके पश्चात यह घुंघुट्टा नदी की उत्तरी सीमा के साथ होकर बिंदु 'ख1' पर मिलती है, तत्पश्चात ग्राम परसोडीकला के खसरा संख्या 1026 की पूर्वी सीमा से होकर बिंदु 'ख2' पर पहुँचती है, फिर घुंघुट्टा नदी की दक्षिणी सीमा के साथ होकर बिंदु 'ख3' पर पहुँचती है, तत्पश्चात ग्राम अमेरा के खसरा संख्या 719 की पश्चिमी सीमा से होकर बिंदु 'ख4' पर पहुँचती है और पुनः घुंघुट्टा नदी की उत्तरी सीमा के साथ होकर बिंदु 'ग' पर मिलती है।

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक.का.आ. 1039(अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 1999, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. 43015/5/2025-एलएआईआर]

डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th October, 1999 *vide* number S.O. 1039 (E), dated the 20th October, 1999 namely:

In the said notification, -

- (i) in paragraph 3, in sub paragraph (a), for the words, figures and brackets “land measuring 895.913 hectares (approximately) or 2213.80 acres (approximately)”, the words, figures and brackets “land measuring 897.764 hectares (approximately) or 2218.37 acres (approximately)” shall be substituted;
- (ii) in Schedule ‘A’ –
- (a) under heading “ALL RIGHTS” the following table shall be substituted namely;

S. No.	Name of Mouja/ village*	Village number	Patwari halka/JL Number*	Tahsil/PS*	District	Area in hectares	Remarks
1.	Parsodikala	3902221	06	Lakhanpur	Surguja	291.702	Part
2.	Amera	3902200	08	Lakhanpur	Surguja	188.483	Part
3.	Puhputara	3902202	07	Lakhanpur	Surguja	024.924	Part
4.	Kotkona	3902218	06	Lakhanpur	Surguja	278.779	Part
5.	Gumgarakala	3902219	05	Lakhanpur	Surguja	113.876	Part

- (b) below the Table, for the words, figures and brackets “Total: 895.913 hectares (approximately) OR 2213.80 acres (approximately)” the words, figures and brackets “Total: 897.764 hectares (approximately) or 2218.37 acres (approximately)” shall be substituted;
- (c) in item number 1, for the entries “1027 to 1176”, the entries “1027 to 1213, 1225” shall be substituted;
- (d) in item number 2, for the entries “1 to 252”, the entries “2 to 252” shall be substituted;
- (e) item A-B-C and the entries relating heads, the following item and entries shall be substituted namely.

BOUNDARY DESCRIPTION:

A-B-B1-B2-B3-B4-C Line starts from point ‘A’ in Village Parsodikala and passes through plot numbers 672, 542, 538, 541, 525, 544, 545, 518, 517, 516, 515, 514, 551, 552, 554, 498, 497, 469, 463, 468, 1026 and passes through along Northern boundary of Gungutta river and meets at point ‘B1’ and passes through Eastern Boundary of plot number 1026 of Village Parsodikala and meets at point ‘B2’ and passes along Southern Boundary of Ghunghutta River and meets at point ‘B3’ and passes along Western boundary of plot number 719 of village Amera and meets at point B4 and passes through along Northern boundary of Gungutta river and meets at point ‘C’.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th October, 1999 vide notification number S.O. 1039(E), dated the 20th October, 1999,

[F. No. 43015/5/2025-LAIR]

DR. GOPAL SINGH, Jt. Secy.